संख्या-1492/2025/1956/22-2-2023-17(542)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 08 दिसम्बर,2025

विषय:- जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालू पुत्र श्री मिन्त्री, निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 31-03-2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी लालू पुत्र श्री मिन्त्री, ग्राम-औरहिया, टोला-सतकोठिया, थाना-पनियरा, जनपद-महराजगंज का निवासी है। बंदी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 19.10.2014 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर श्रीमती फूलमती की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-95/2015, भा0द0वि0 की धारा- 304ख, 498क व 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय-1), महराजगंज के दण्डादेश दिनांक 21.10.2022 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.11.2022 तक अपरिहार 07 वर्ष, 00 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 00 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालू (बन्दी संख्या-134/2022) पुत्र श्री मिन्त्री, निवासी जनपद-महराजगंज की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1492/2025/1956(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।